नगर विकास न्यास, कोटा

7426

69
29/3/03

परिशिष्ट –3 (देखिये नियम 16)

विद्यालय भवन

वसन्त विहार ...... योजना के अन्तर्गत ~~आवासीय~~ /~~व्यवसायिक~~/~~आवास~~ स्थल सख्या — के लिये।

...आज तारीख 29 माह 3 सन् दो हजार 03 को एक और राजस्थान राज्य के राज्यपाल, (जिन्हें एतस्मिन पश्चात् ...) तथा दूसरी और मै /श्री अकलंक विद्यालय ऐसोसिएशन ... राजस्थान (जिन्हे एतस्मिन पश्चात पट्टेदार कहा गया है)

कोटा ...... ✗ ...... पुत्र श्री ✗ ...... निवासी ✗

...किया गया है।

...विलेख से सलग्न अनुसूचित मे वर्णित "प्लाट ऑफ लैंड" का पट्टा, एतस्मिन पश्चात् उल्लिखित रीति से पट्टेदार का नाम करना स्वीकार कर ...

...साक्ष्य है कि रुपया 165843=00 (अको मे) रुपया एक लाख पैंसठ हजार आठ सौ तियालीस (शब्दो मे) की राशि जो प्रीमियम मे इन अनुबन्धो के निष्पादनो से पूर्व भुगतान कर दी गई है (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता ...स्वीकार करता है) के तथा नगरीयकर/भाटक के तौर पर जो एतत्पश्चात आरक्षित किया गया है, के और प्रसविदाओ जो कि पट्टेदार की ओर से ...अन्तर्विष्ट की गई है के प्रतिफल स्वरुप पट्टाकर्ता पतद् द्वारा स्कीम केशवपुरा वसन्त विहार के अभिन्यास मे प्लाट सख्या/ — ...भाग 6850 ~~वर्गफीट~~ / वर्गमीटर पर स्थित है। जिस ~~आवासीय~~ / ~~व्यवसायिक~~ / ~~प्लाट/मकान~~ विद्यालय भवन का वर्णन अधिक ...पश्चात् लिखित अनुसूची में दिया गया है ~~तथा जिसकी~~ चतुर्दिक सीमाये इन अनुबन्धो के साथ लगाये गये प्लान मे अधिक स्पष्ट रुप से ...(जिसे एतस्मिन पश्चात विद्यालय भवन ~~आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ निर्देशित किया गया है) मय उन सम्पूर्ण अधिकारों, सुखाचारो तथा सहायक ...कुछ भी उक्त प्लाट/मकान के अथवा तत्सम्बन्ध है, पट्टेदार को दो हजार एक सौ एक के 6 मास के ...वर्ष की अवधि के लिए, एतदद्धरा उक्त पट्टेदार को अन्तरित सीमाएं धारण करने और प्रदर्थ वार्षिक नगरीय कर/भाटक के तौर पर रुपया ... अग्रिम अथवा ऐसा अन्य नगरीय कर जैसा कि समस्त कटौतियो से पृथक एतदपश्चात राजस्थान इम्पुवमेट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ ...) 1974 यथा सशोधित के तथा एतस्मिन पश्चात अन्तर्विष्ट प्रसविदाओ एव शर्तो के अन्तर्गत निर्धारित किया जाए, नगर विकास न्यास, कोटा ...ऐसे अन्य स्थान पर जो कि पट्टाकर्ता द्वारा प्रदर्थ अधिसूचित किया जाये, वार्षिक भुगतानो से सानुकुल भुगतान किये जाते रहने जिनमे प्रथम ... अप्रेल प्रतिवर्ष को किया जाता है, के निमित सदैव एतस्मिन पश्चात अन्तर्विष्ट अर्थात निम्नलिखित अपवादो, आरक्षणो, प्रसविदाओ तथा शर्तो ...अन्तरित करता है।

विद्यालय भवन ~~...सीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ में अथवा तदन्तर्गत अवस्थित समस्त खानो, खनिजों, कोयलो, स्वर्ण वार्जिक (गोल्ड वाशिग) मिट्टी के तेलो ...तथा उनके लिए खोज करने, काम करने, हटाने तथा उपभोग करने के प्रयोजनो के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर समस्त कार्य तथा बाते उक्त विद्यालय भवन ~~...प्लाट /मकान~~ की सतह के लिये तथा तदुपरी तत्समय खड़ी हुई किसी इमारत के लिए कोई उदग्र अवलब (बेरेटिलक सपोर्ट) की व्यवस्था ...छोड़े बिना हर समय करने का पूर्ण अधिकार तथा शक्ति स्वय अपने लिये अभी स्वीकार तथा आरक्षित करता है, परन्तु सदैव शर्त यह है कि ...आरक्षित अधिकारो अथवा उनमे से किन्ही का प्रयोग किये जाने से पहुँची सीधी क्षति के लिए पट्टेदार को मुक्तियुक्त मुआवजे का भुगतान करेगा।

...अभिन्यास के नक्शो मे विचलन नहीं करेगा और न ही ~~आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट~~ विद्यालय भवन /मकान की साइज मे चाहे उपविभाजन द्वारा एकीकरण ...परिवर्तन नही करेगा।

...27 माह 6 ...... सन् दो हजार 1991 (और इस प्रकार का विनिर्दिष्ट समय संविदा का मूल तत्व होगा) से तीन वर्षो ...अपने खर्चे पर भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ~~आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ विद्यालय भवन पर परिनिर्माण करायेगा ...कुशल रीति से आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान पर भवन निर्माण के स्वीकृत नक्शे के अनुसार पूर्ण करायेगा तथा नगर विकास न्यास, ...का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

विद्यालय भवन ~~...व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ संख्या ...... या उसके किसी भाग को पट्टाकर्ता की पूर्व में लिखित स्वीकृति के सिवाय न बेचेगा, ...समनुदेशित करेगा, और न अन्यथा अपने कब्जे से अलग करेगा।

विद्यालय भवन ~~...व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ मे पट्टेदार का हक किसी भी रीति से अन्तरित किया जाये तो अन्तकरणकर्ता तथा अन्त रीति अन्तरण होने से तीन ...कर्ता को उक्त हक अन्तरण का लिखित नोटिस देगें।

विद्यालय भवन ~~...व्यवसायिक/प्लाट /मकान~~ मे पट्टेदार का हक किसी भी रीति से अन्तरित किया जाय तो अन्तरित इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसविदाओ एव ...होगा और उनके लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होगा।

...जाने की दशा मे वह व्यक्ति जिसे मृतक का हक न्यायगत हो, ऐसे न्यायगमन (डिवोलुशन) से तीन महीनों के भीतर पट्टाकर्ता को उक्त हक ...देगा, यदि पट्टेदार और उसकी मृत्यु हो जाने की दशा मे उसका उत्तराधिकारी बिना पर्याप्त कारण के उक्त नोटिस देने मे विफल रहता है ...या उपेक्षा के लिए पट्टाकर्ता को रुपया 100/– देने का भागी होगा।

...व्यक्ति जिन्हे हक न्यायगत हो, यथास्थिति अन्तरण या हक न्यायमन की साक्ष्य सम्बन्धी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पट्टाकर्ता को प्रदा...

...पर तथा सभी समयों पर प्रत्येक प्रकार के स्थानीय करों (रेट्स) करों, प्रभारो तथा नगरीय करों का जो वर्तमान मे इस पट्टे के प्रवर्तनकाल में ...समय एतद पट्टा किये गये ~~मकान~~ /प्लाट अथवा उस पर निर्माण किये जाने वाले किसी भवन पर या उनके सम्बन्ध मे भूस्वामी अथवा आसामी ...अथवा आरोपित किये जाये, भुगतान या उनमोचन करेगा।

सचिव,
नगर विकास न्यास, कोटा

...अध्यक्ष
...लय, एसोसिऐशन
कोटा

फोटो कोपी प्रमाणित
... कोटा

...न्तर्गत किये गये आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान विद्यालय भवन से सम्बन्धित नगरीय कर/ भाटक तथा अन्य शोध्य भुगतानो के समस्त बकाया उसी प्रकार ...जिस प्रकार कि भू–राजस्व की बकाया वसूली की जाती है।

...विकास न्यास की लिखित स्वीकृत के बिना आवासीय/ व्यवसायिक/ विद्यालय भवन प्लाट /मकान संख्या — पर कोई भवन नही बनायेगा या ऐसे भवन में ...या वृद्धि नही करेगा।

...र्ता नगर विकास न्यास की लिखित स्वीकृति के बिना मकान / प्लाट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन में किसी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार ...किये जाने की आज्ञा नहीं देगा, अथवा उसको प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी काम मे नही लेगा या काम मे लिये जाने की आज्ञा नही देगा, अथवा ...कार्य या बात नही करेगा या किये जाने की आज्ञा नही देगा जो पट्टेकर्ता के विचार से पट्टाकर्ता तथा पडौस में रहने वाले व्यक्तियो के लिए क्लेश. ...धा हो।

...पट्टेदार उक्त मकान/ प्लाट या उस पर (निर्मित) भवन को गृह निर्माण/ व्यवसाय विद्यालय भवन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए काम मे लेने का इच्छुक हो ...निबन्धानो तथा शर्तो पर जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम तथा अतिरिक्त नगरीय कर का भुगतान किया जाना भी सम्मिलित है जैसा कि वह अपने ...निर्धारित करें, उपयोग के लिए परिवर्तन की आज्ञा दे सकेगा।

...ड़े की समाप्ति पर उक्त मकान /प्लाट संख्या ...—... और उस पर निर्मित भवन को पट्टादाता को शान्तिपूर्वक समर्पित करेगा तथा ...र एव घोषित किया जाता है कि जब तक प्रसंग में कोई भिन्न अर्थ अपेक्षित न होगा।

(अ) इन अनुबन्धो में प्रयुक्त की गई अभियुक्ति "पट्टाकर्ता" मे राज्य सरकार के उत्तराधिकारी एव अभिहस्ताकिति तथा इन अनुबन्धो मे अन्तर्विष्ट ...होने वाले किसी मामले या बात के सम्बन्ध में प्रत्येक वह व्यक्ति सम्मिलित होगें जो ऐसे मामले या चीज के सम्बन्ध मे राज्य सरकार की ओर ...प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्पर्क प्राधिकृत हैं।

(ब) इन अनुबन्धो मे पयुक्त में की गई अभिव्यक्ति "पट्टेदार" मे उक्त पट्टेदार के अतिरिक्त उसके वैध वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधी, ...न्तरिति, आसामी तथा उक्त भूमि या उस पर निर्मित भवनों का /के अधिभोगी व्यक्ति सम्मिलित है।

...थवा एतद्द्वारा आरक्षित वार्षिक कर/भाटक की भुगतान योग्य राशि/ राशियों या उसका कोई भाग किसी समय बकाया रहे और जिन दिनो में ...दिनो मे से किसी दिन के पश्चात एक माह तक उदत्त रह गया हो, चाहे वह मांगी गई हो या नही अथवा एक प्रकट हो जाये कि यह पट्टा किसी ...ी किसी दुष्कथन (मिस स्टेटमेन्ट) दुर्व्यपदेशन (मिस रिप्रजन्टेशन) अथवा कपट से प्राप्त किया गया है या पट्टाकर्ता जिसका निर्णय अन्तिम होगा ...या पट्टेदार की मार्फत दावे का हक रखने वाले या अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति ने एतस्मिन अन्तर्विष्ट कोई ऐसी प्रसविदा या निबन्ध ...अनु पालनीय या पालनीय है, भंग को है, तो ऐसी किसी मामले में एतद्द्वरा पट्टे पर अन्तरित आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान या उस ...पुन प्रवेश के अधिकार के किसी पूर्व कारण के आधिपत्यजन के होते हुए भी पट्टाकर्ता के लिये उस आवासीय/ व्यवसायिक/प्लाट /मकान ...न अथवा स्थावर वस्तुओं पर पुनः प्रवेश करना तथा कब्जा करना विधि पूर्ण होगा और उसके पश्चात् यह पट्टा तथा एतस्मिन अन्तर्विष्ट प्रत्येक ...था समाप्त हो जावगी और पट्टेदार किसी मुआवजे का या उसके द्वारा भुगतान किये गये किसी प्रिमियम की वापसी का हकदार नही होगा।

...के एतस्मिन अन्तर्विष्ट कोई बात विपरीत होते हुए भी पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार पर जैसा ऊपर कहा गया है प्रतिकूल प्रभाव ...नितान्त विवेक पर ऐसे राशि की प्राप्ति पर तथा ऐसी शर्तो तथा निबधनां पर जो उसके द्वारा अवधारित की जाय भजनो को अस्थाई रूप ...क्त या माफ कर सकेगा और नगरीय कर/ भाटक की उक्त राशि/ राशियो का जो उक्त प्रकार से बकाया रही हो, पन्द्रह प्रतिशत 15% ...सहित अभी स्वीकार भी कर सकेगा।

उत्तर मे ...सड़क 9 मीटर चौड़ी... से बद्ध

दक्षिण में ...कम्युनीटि सेन्टर... से बद्ध

पूरब में ...सड़क 9 मीटर चौड़ी... से बद्ध

पश्चिम में ...सड़क 6 मीटर चौड़ी... से बद्ध

है, तथा उपलब्ध प्लान में दिखाई गई है और उसकी सीमाऐ लाल स्याही से रेखाकित की गई है,

राजस्थान राज्य के राज्यपाल के लिये
तथा उनकी ओर से हस्ताक्षरित

सचिव,
नगर विकास न्यास, कोटा

...क्षर

सचिव
...अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
...कोटा

साक्षीगण न्यास –

1. हस्ताक्षर ...
नाम ...
पुत्र श्री ...
पता ...

2. हस्ताक्षर ...
नाम ...
पुत्र श्री ...
पता ...

3417

आज दिनांक 7 माह April सन् 2003 को 12:22 बजे
श्री SH. RAJENDRA KUMAR BAJ AKLANK पुत्र / पत्नी श्री POONAM CHANDRA उम्र 68 वर्ष,
जाति JAIN व्यवसाय BUSINESS
निवासी AKLANK VIDHYALAYA ASSO. BASANT VIHAR KOTA ने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्त्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
(2003002765)

रसीद नं0 2611 दिनांक 07/04/2003
पंजीयन शुल्क रू0 210
प्रतिलिपि शुल्क रू0 100
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0
अन्य शुल्क रू0 0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 2290
कुल योग रू0 2600

(2003002765) उप पंजीयक, KOTA

उक्त श्री (Executant)
1-SH. RAJENDRA KUMAR BAJ AKLANK/POONAM CHANDRA, Age:68, Caste-JAIN
Ocu.-BUSINESS, R/O-AKLANK VIDHYALAYA ASSO. BASANT VIHAR KOTA
ने लेख्यपत्र Lease Deed (>= 20 Years) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना
स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्त्ता की पहचान
1. श्री SOBHAG SINGH NIGAM
पुत्र/पत्नी श्री BABU LAL उम्र 64 वर्ष
जाति KAYESHTHA व्यवसाय SERVICE
निवासी 1 PA 4, VIGYAN NAGAR KOTA एंव

2. श्री
पुत्र/पत्नी श्री उम्र 0 वर्ष
जाति व्यवसाय
निवासी ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2003002765) उप पंजीयक, KOTA

फोटो कॉपी प्रमाणित
उप पंजीयक

समस्त हस्ताक्षर एंव अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2003002763) उप पंजीयक, KOTA

आज दिनांक 08/04/2003 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 863
में पृष्ठ संख्या 148 क्रम संख्या 3417 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1763
के पृष्ठ संख्या 189 से 192 पर
चस्पा किया गया।

(2003002765) उप पंजीयक, KOTA

फोटो कोपी प्रमाणित
पंजीयक द्वितीय, कोटा